गांधी परिवार को यह जानना चाहिए कि देश में अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन होगा। गांधी परिवार को लगता है कि देश में आज भी राजशाही है। —— सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

केवल एक आतंकवादी से संबंधित होने के कारण किसी व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इनकार नहीं करने का माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है। —— महबूबा मुफ्ती, पूर्व सीएम, जम्मू-कश्मीर

# जीडीए की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों पर हुआ गहन मंथन

**गाजियाबाद (एसएनबी)।** बुधवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष अतुल वत्स की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्राधिकरण से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों और योजनाओं पर गहन चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण, भूमि क्रय प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने और जोनल प्लान की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मानिचत्रों की अनापत्ति की स्थिति को लेकर उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि लंबित अनापत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र जारी किया जाए, जिससे योजनाओं को गति मिले। उन्होंने प्रक्रिया को सरल और डिजिटल माध्यमों से अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। भू-अर्जन अनुभाग ने मानिचत्रों के स्वामित्व परीक्षण संबंधी कार्यवाही पर ड्राफ्ट प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप को और अधिक प्रभावी बनाने और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई।

■ जीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी के निर्देश

कोर्ट में लंबित वादों को योजनावार और ग्रामवार सूचीबद्ध किया गया। रेफरेंस वाद और इजराय वाद को अलग-अलग वर्गीकृत कर निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि हम तुम रोड क्षेत्र में भूमि क्रय और भू-अधिग्रहण से संबंधित वादों का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है, ताकि यातायात और कनेक्टिविटी की गुणवत्ता में सुधार कर जनता को परेशानियों से निजात दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए टोटल स्टेशन सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने आउटर रिंग रोड से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया गया। जीडीए उपाध्यक्ष ने सभी अनुभागों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

# सज्जन कुमार को दोषी साबित करने में एसआईटी का योगदान : सचदेवा

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एसआईटी का परिणाम है। नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है।

प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि सिख नरसंहार के आरोप में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अलग-अलग मामलों में सजा मिलना केंद्र सरकार के प्रयासों का नतीजा है। कोर्ट के इस निर्णय का भाव आज देशभर के सिखों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद सिख दंगों के आरोपियों को ढूंढ़कर सजा दिलाने का प्रयास किया है। दंगों के तीन दशक तक कांग्रेस ने इस मामले को दबाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू परिवार ने सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, धर्मदास शास्त्री को हमेशा बचाने का काम नहीं किया बल्कि उन्हें सांसद और विधायक बनाकर सम्मानित करने का काम किया। कांग्रेस सरकार लगातार सिख दंगों के आरोपियों को बचाती रही।

■ कांग्रेस नेता को सजा दिलाने में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के प्रयासों का आभार : मनजिंदर सिंह सिरसा

भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक के बाद एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साबित हो रहे हैं यह केंद्र की मोदी सरकार के प्रयास का नतीजा है। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उन्होंने सिखों को न्याय से वंचित रखा है। उन्हें उम्मीद है कि एसआईटी के प्रयासों से जल्द ही जगदीश टाइटलर, कमलनाथ भी दोषी साबित होंगे और कानून के शिकंजे में आएंगे। दोषियों को सजा दिलाए बगैर चुप नहीं बैठेंगे।

## दिल्ली के सिख विरोधी दंगे

# सज्जन कुमार दोषी करार

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के मामले में बुधवार को दोषी करार दिया और कहा कि कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद कुमार को अब अधिकतम मृत्युदंड या कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कुमार को दोषी करार दिया और सजा पर बहस की तारीख 18 फरवरी तय की है।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, अगली सुनवाई के दौरान सजा पर फैसला दिया जाएगा। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि यह भी साबित हो गया है कि हमलावर भीड़ का हिस्सा होने के नाते कुमार घटना के दौरान शिकायतकर्ता के पति जसवंत सिह और बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या करने का दोषी है। दोषसिद्धि के फैसले में कहा गया कि शिकायतकर्ता, जिसने पति और बेटे की क्रूर हत्या देखी है, उससे निश्चित रूप से उस व्यक्ति का चेहरा भूलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो उक्त हत्याओं और लूटपाट को अंजाम देने के लिए भीड़ को उकसा रहा था। अदालत में शिकायतकर्ता का बयान उसके इस रुख की पुष्टि करता है। न्यायाधीश ने कुमार की इस दलील को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने आरोपी का नाम देर से बताया। घटना के समय उसे आरोपी की पहचान के बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि वह उस क्षेत्र में नई थी और उसने आरोपी को पहले कभी नहीं देखा था।

सज्जन कुमार को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (दंगा), 302 (हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 395 (डकैती), 397 (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ डकैती या लूटपाट) और 436 (घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल) समेत अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। सजा सुनाए जाने के लिए कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया। मामला एक नवम्बर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित है। पंजाबी बाग थाने ने शुरू में केस दर्ज किया था लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच का जिम्मा संभाला था। इस मामले में 16 दिसम्बर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ 'प्रथम दृष्टया' मामला सही पाया था।

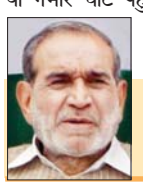

■ सजा पर बहस 18 को

अभियोजन पक्ष के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद घातक हथियारों से लैस भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट एवं आगजनी की थी और सिख समुदाय के लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में जसवंत सिंह की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार भीड़ ने घर में घुसकर सिंह एवं उनके बेटे की हत्या कर दी थी और सामान लूटकर घर को आग के हवाले कर दिया था। कुमार पर मुकदमा चलाते हुए अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत है कि वह न केवल एक भागीदार थे बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था। हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दंगों के संबंध में दिल्ली में 587 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। दंगों में 2733 लोगों की हत्या हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार सुराग नहीं लगने पर लगभग 240 प्राथमिकी को पुलिस ने बंद कर दिया और 250 मामलों में लोगों को बरी कर दिया गया। 587 प्राथमिकी में से केवल 28 मामलों में ही दोषसिद्धि हुई, जिसमें लगभग 400 लोगों को दोषी ठहराया गया। कुमार समेत लगभग 50 लोगों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। दंगों के समय कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और सांसद रहे कुमार पर एक और दो नवम्बर 1984 को दिल्ली की पालम कॉलोनी में पांच लोगों की हत्या के मामले में आरोप लगाया गया था। इस मामले में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


## अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि दर्शन पुत्रः प्यारे लाल, पताः मकान नं. 1068, जनता फ्लैट, जीटीबी एन्कलेव, दिल्ली ने CC No. 2227/2019, U/s 138 NI Act, थानाः भजनपुरा, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त दर्शन मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त दर्शन फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि CC No. 2227/2019, U/s 138 NI Act, थानाः भजनपुरा, दिल्ली के उक्त अभियुक्त दर्शन से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 29.03.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री पंकज राय
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–। (एनई)
कमरा नं. 73, पांचवी मंजिल
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/1381/NE/2025
(Court Matter)

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त अमन खेड़ा, पुत्रः महिंदर खेड़ा, पताः 7/147, रमेश नगर, नई दिल्ली–110015 ने FIR No. 405/2015, U/s 354D/506 IPC, पुलिस थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अमन खेड़ा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अमन खेड़ा फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 405/2015, U/s 354D/506 IPC, पुलिस थाना राजौरी गार्डन, दिल्ली के अभियुक्त अमन खेड़ा से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 18.03.2025 या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री आकांक्षा गौतम
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
महिला कोर्ट, कमरा नं. 252
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/1506/WD/2025

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त शिव प्रसाद पुत्र छोटे लाल निवासी 204, गली नं. 5, राव विहार, नांगलोई, थाना नांगलोई, नोर्थ–वेस्ट, दिल्ली–110041 ने case Regd. No. 6884/2018, थाना साउथ रोहिणी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त शिव प्रसाद मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त शिव प्रसाद फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case Regd. No. 6884/2018, थाना साउथ रोहिणी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त शिव प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकद्मा का उत्तर देने के लिए दिनांक 20.03.2025 को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार
सुश्री इब्बानी अग्रवाल
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–03 (उत्तर पश्चिम)
कमरा नं. 107, प्रथम तल
रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली

DP/1705/RD/2025(Court Matter)

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त राजू, पुत्र स्व. सुमेश, पताः मकान नंबर एफ–181, अमन विहार, किरारी, दिल्ली ने FIR No. 485/2018, U/s 10 POCSO Act, पुलिस थाना अमन विहार, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त राजू मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि राजू फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि पुलिस थाना अमन विहार, दिल्ली के अभियुक्त राजू से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 22.03.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री जसजीत कौर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश – 04
(POCSO), कमरा नं. 203, द्वितीय तल
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

DP/1544/RD/2025


# बसपा ने भदोही का नाम संत रविदास किया, सपा ने बदला : मायावती

**लखनऊ (एसएनबी)।** बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने संत गुरु रविदास की जयंती पर उनको नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही सपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए मायावती ने कहा कि बसपा ने संत रविदास के नाम पर भदोही का जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित रखते हुए नया संत रविदास जिला बनाया था, जिसे समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार ने जातिवादी और राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया। बसपा द्वारा जारी एक बयान में मायावती ने कहा, 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' अर्थात मन को पाक-साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज व देश का भी भला कर सकता है। ऐसा आदर्श एवं मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास को आज उनकी जयंती पर शत-शत नमन व श्रद्धा सुमन ... अर्पित करने के साथ ही देश व दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 'बसपा की अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के संतों की परंपरा में जाने-माने संत गुरु रविदास ने अपना सारा जीवन लोगों को इंसान बनाने के लिए इंसानियत का संदेश देने में गुजारा और इस क्रम में खासकर जाति भेद व द्वेष आदि के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहकर अमर हो गए। उन्होंने कहा, 'बसपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये है उनमें संत रविदास के नाम पर भदोही का जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित रखते हुए नया संत रविदास जिला बनाया गया, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा जातिवादी व राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया है, किन्तु इसका नाम अब तक बहाल नहीं किया है, जो बेहद दुख की बात है और यह साबित होता है कि इन पार्टियों की सोच एक जैसी द्वेषपूर्ण व जातिवादी है। मायावती ने कहा, 'बसपा सरकार द्वारा संत रविदास की जन्म नगर वाराणसी में संत रविदास पार्क व घाट की स्थापना, फैजाबाद में संत रविदास राजकीय महाविद्यालय निर्माण, वाराणसी में ही संत रविदास की प्रतिमा का स्थापना, संत रविदास सम्मान पुरस्कार की स्थापना आदि प्रमुख है।

■ कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन को पाक साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख को पा सकता है

# बसपा सुप्रीमो ने अपने समधी समेत दो नेताओं को पार्टी से किया बाहर

**लखनऊ (एसएनबी)।** बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ समेत दो वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। बसपा के दो वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने से अन्य नेताओं में हड़कंप मच गया है। बसपा प्रमुख ने इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों की, इसको लेकर मायावती ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा, बीएसपी की ओर से ख़ासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे पूर्व सांसद डॉ. अशोक सिद्धार्थ, नितिन सिंह जिला प्रभारी मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। बसपा प्रमुख की इस कार्रवाई के बाद पार्टी नेताओं में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि 2012 में बसपा चुनाव हारने के बाद से ही सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को कुछ राहत मिली थी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर झटक गया।

# रालोद ने चौ. अजित सिंह की जयंती 'संकल्प दिवस' के रूप में मनाई

**लखनऊ (एसएनबी)।** राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. अजित सिंह की जयंती प्रदेश भर में 'संकल्प दिवस' के रूप में मनाई। इस अवसर पर विभिन्न जनपदों में श्रद्धांजलि सभा, विचार गोष्ठी, चौपाल व अस्पतालों में फल वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। रालोद के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता अनिल दुबे ने की। उन्होंने चौधरी अजित सिंह के देश के लिए दिए गए योगदान को याद कर कहा कि वे किसानों और वंचित वर्ग के सशक्त प्रवक्ता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनके हितों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र ने कहा कि चौधरी अजित सिंह भारतीय राजनीति में दूरदृष्टि वाले नेता थे,। जिन्होंने हमेशा किसानों और गरीबों की आवाज को बुलंद किया।


## U.P. State Bridge Corporation Ltd.
Mechanical Unit, Ghaziabad.

TENDER NOTICE

Online e-tenders are hereby invited on behalf of U.P. State Bridge Corporation Ltd, Mechanical Unit, Ghaziabad from the old machine reseller/metal scrap reseller or stock is firms or contractor, registered in commercial tax/sales tax/income tax department interested for purchase of Steel scrap & old used & unserviceable machine on "As is where is" basis as detailed in tender document (NIT No. 763/22 MU-GZB/E-Tender/2024-25 Date. 10.02.2025). The cost of tender document is Rs. 5000.00 + G.S.T. @ 18%, i.e. total cost Rs.5900.00 only. Online bid submission start and closing date are 11/02/2025 and 25/02/2025 respectively and online financial Bid opening date shall be intimated letter

**Note: Tender documents are available on website: www.etender.up.nic.in which can be downloaded.**

(Ashok Kumar Singh)
Manager (Equipment)

Letter No.768/22MU-GZB/2024-25 Dt.12.02.25

## कार्यालय अधिशासी अभयंता, सा.नि.विभाग, विद्युत खण्ड-प्रथम, जयपुर

ई-निविदा सूचना संख्या : 38/2024-2025

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से (1) सा.नि.वि. कैम्पस जयपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के निर्माण में विद्युतीकरण का कार्य (Electrification work in Construction of Centre for Excellence Building at PWD Campus, Jaipur.) (2) सा.नि.वि. कैम्पस जयपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के निर्माण में फायर फाईटिंग और फायर अलार्म का कार्य (Fire Fighting & Fire Alarm Work in Construction of Centre for Excellence Building at PWD Campus, Jaipur.) (3) सा.नि.वि. कैम्पस जयपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के निर्माण में लेन कार्य (SITC of LAN work in Construction of Centre for Excellence Building at PWD Campus, Jaipur.)

हेतु सा.नि.विभाग राजस्थान में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tender.asp तथा http://eproc.rajasthan.gov.in तथा http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

इच्छुक संवेदकों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। शुद्धि-पत्र केवल वेब साईट पर अपलोड किए जाएंगे।

UBN No. : PWD2425WSOB14464, PWD2425WSOB14465, PWD2425WSOB14466

(प्रदीप कुमार शर्मा)
अधिशासी अभियंता
सा.नि.वि., विद्युत खण्ड-प्रथम, जयपुर

R.O.No.DIPR/C/1541/2025 Dat. 11.02.25

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त सौरव पुत्र कन्हिया लाल पता ई–839, मंगोलपुरी, दिल्ली ने एफआईआर नं 1040/2019 धारा 324/34 भा.द.स. के तहत थानाः मंगोलपुरी, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त सौरव मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त सौरव फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि एफआईआर 1040/2019 धारा 324/34 भा.द.स. के तहत थानाः मंगोलपुरी, दिल्ली के उक्त सौरव से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 27.03.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
रितिका जैन
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी – 05
नार्थ वेस्ट कोर्ट नं.105
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/1730/OD/2025

## जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

सीआईएन : L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सैक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
कॉर्पोरेट कार्यालयः 15वां तल, टॉवर ई, स्काईमार्क वन, प्लॉट नं. एच–10/ए, सैक्टर–98, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
फोनः +91-120-6927500; +91-120-6935400
वैबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

**31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अनअंकेक्षित समेकित और एकल वित्तीय परिणामों का विवरण**

कंपनी के निदेशक मंडल ने 12 फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित और एकल वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।

लेखापरीक्षक सीमित समीक्षा रिपोर्टस के साथ परिणामों को कंपनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-stock-exchange-filings पर पोस्ट किए गए हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके इन्हें देखा जा सकता है।

के निदेशक मण्डल की ओर से
जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
समीर खेत्रपाल
सीईओ एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं. 07402011

स्थानः नोएडा
दिनांकः फरवरी 12, 2025

नोट : उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है।

## परिशिष्ट IV-A
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई– नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गैरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [CIN : L65922DL2005PLC136029] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'')** द्वारा **वास्तविक कब्जा** लिया जा चुका है, **03.03.2025** को **शाम 04.00 बजे से 05.00 बजे** तक **''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी है''**, की वसूली के लिए **ऋण खाता नं. HHLDCP00377083** के लिए **रु. 32,48,724/- (रुपए बत्तीस लाख अड़तालीस हजार सात सौ चौबीस मात्र)** के लिए **10.02.2025** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **11.02.2025** से प्रभावी जो **राजकुमार, रेणु और कुसुम लता** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 13,50,000/- (रुपए तेरह लाख पचास हजार मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(''ईएमडी'') रु. 1,35,000/- (रुपए एक लाख पैंतीस हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

**आवासीय फ्लैट नंबर एस.एफ. 402, दूसरी मंजिल पर, छत के अधिकार के साथ, (सामने बाईं तरफ), एमआईजी, कवर्ड एरिया 550 वर्ग फीट, 51.09 वर्ग मीटर के बराबर है, प्लॉट नंबर सी–7/2 पर विकसित/निर्मित है, डीएलएफ अंकुर विहार में स्थित है, गांव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश–201002।**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammaancapital.com देखें; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024; ई–मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

सही/–
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

दिनांक : 10.02.2025
स्थान : गाज़ियाबाद

## परिशिष्ट IV-A
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई– नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गैरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [CIN : L65922DL2005PLC136029] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'')** द्वारा **वास्तविक कब्जा** लिया जा चुका है, **18.03.2025** को **शाम 04.00 बजे से 05.00 बजे** तक **''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी है''**, की वसूली के लिए **ऋण खाता नं. HHLVAS00534944** के लिए **रु. 18,23,678/- (रुपए अठारह लाख तेईस हजार छह सौ अठहत्तर मात्र)** के लिए **10.02.2025** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **11.02.2025** से प्रभावी जो **भीम सियान और कृतिका** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 13,05,000/- (रुपए तेरह लाख पांच हजार मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(''ईएमडी'') रु. 1,30,500/- (रुपए एक लाख तीस हजार पांच सौ मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

**फ्लैट नंबर जीएफ–2, जिसका कुल कवर्ड एरिया 50.166 वर्ग मीटर यानी, 540 वर्ग फीट है, तल मंजिल, एमआईजी, रियर/पीछे बाईं तरफ, छत के अधिकारों के बिना, प्लॉट नंबर बी–6/10, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव सादुल्लाबाद, परगना लोनी, गाज़ियाबाद–201102, उत्तर प्रदेश।**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammaancapital.com देखें; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024; ई–मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

सही/–
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड